Food supply Dept

भाग – III

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 नवम्बर, 2014

संख्या सा०का०नि० 49/संवि०/अनु० 309/2014.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं:-

2. हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप-कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1982 में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 12 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

3	4
"(i) मैट्रिक ; (ii) कम-से-कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का/भारी वाहन चालन जैसी भी स्थिति हो, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	(i) मैट्रिक; (ii) श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम-से-कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का/भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; (vii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; "।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।